

an>

Title: Presented a statement showing the Supplementary Demands for Grants-First Batch for 2021-2022 and Demands For Excess Grants for 2017-2018.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 15 और 16, अनुदानों की अनुपूरक मांगें, अतिरिक्त अनुदानों की मांगें ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों – प्रथम बैच (2021-22) को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा ।

... (व्यवधान)


माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

“कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 3, 4, 6 से 10, 15, 17, 20, 24, 25, 27 से 29, 31, 34, 35, 40, 42 से 46, 50, 54, 55, 59, 61, 64, 67, 69, 73, 75, 77, 84, से 88, 91, 92, 94, 95, 97, 100 और 101 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।”



माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

“कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 20, 21 और 39 के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।”



माननीय सभापति : अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर श्री हनुमान बेनीवाल का एक कटौती प्रस्ताव परिचालित किया गया है । क्या माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put the Supplementary Demands for Grants – First Batch for 2021-22 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2022 in respect of the heads of demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 3, 4, 6 to 10, 15, 17, 20, 24, 25, 27 to 29, 31, 34, 35, 40, 42 to 46, 50, 54, 55, 59, 61, 64, 67, 69, 73, 75, 77, 84 to 88, 91, 92, 94, 95, 97, 100 and 101.”

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put the Demands for Excess Grants for 2017-2018 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective excess sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 20, 21 and 39.”

The motion was adopted.

... (Interruptions)